[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2020 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2020

सा.नि.का. (अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 (क) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 20/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 जिसे सा.का.नि. 271 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

> "बशर्ते की उक्त पर्ची, जिसके विरूद्ध निकासित माल को इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहीत संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट मिलती है, में विदेश व्यापर नीति के पैराग्राफ 3.25 के अनुसार 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के तहत मिलने वाली शुल्क जमा भी शामिल हो सकती है।"

[फा सं. 605/04/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्णा झा
निदेशक,प्रतिअदायगी

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं. 20/2015-सीमाशुल्क दिनांक 8 अप्रैल, 2015 सा.का.नि.सं. 271 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित हुआ था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 01/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 अप्रैल, 2019 जिसे सा.का.नि. 294 (अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।